



13
10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपद उपस्थित।
बटल हेड अवर-चाद्य, जो दिया गया।
पत्रावली वास्ते बटल दि. 7/1/25 को पेश
पूर्व आदेश दि. 27/11/20 की अधि दिनांक
7/1/25 तक बढ़ायी जाती है।


11/2/25


7/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपद उपस्थित।
बटल हेड अवर-चाद्य, जो दिया गया।
पत्रावली दि. 21.1.25 को पेश हो


08/1/25

21/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपद उपस्थित।
बटल हेड अवर-चाद्य जो दिया गया।
पत्रावली दि. 11.3.25 को पेश हो


21/1/25

19/8/25

फावली प्रार्थी/अधी प्रम 1 के प्रापत्र पड।
प्राप्री/अधी/अधी के प्रापत्र 04/1/25 (1) CPC के संशु
में पेश हुई। इस प्रकार के मूल नोट 87/2020 का
को नाम मंजूरी गौरी का फावली का अक्लोन प्रिया



गया। मूल कास नं० 83/2020 को मुवाविमा फाई शिका रिपोर्ट नं० 24/01/2025 खारिज किया जाकर नंबर 1 का काम किया जाकर दायरता हफ्तर किया जा चुका है। प्राथी (गौ/वाडीगौ) के फाउण्ड 041RS(2) CPC की खारिज किया जा चुका है। stay application, suit का ही एक part is parcel होता है और इसीलिए यदि मूल कास (suit) खारिज हो जाता है तो स्टे फाउण्ड भी automatically null and void होकर जाता है। मूल कास समाप्त होने पर खारिज फाउण्ड irrelevant बन जाता है। stay application कोई भी legal effect नहीं करता है।

No further effect :- A dismissed suit effectively ends the legal proceedings, so any stay application related to it ceases to have any legal effect. if a party disagrees with the dismissal, they can file an appeal, but the stay would typically not be reinstated unless the appellate court specially orders otherwise.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर फाउण्ड नं० 212 RT Act नं० W. 09 R 152 CPC खारिज होकर नंबर 1 का काम होकर दायरता हफ्तर हो।



[Handwritten Signature]

13/2/2025

उपखण्ड अधिकारी
पिठौरा, जिला अदालत (राजौ)